न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रकरण सं0 14/2020 प्रार्थना पत्र बाबत अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने कानाराम वगै. बनाम हरलाल वगै.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.08.2020	अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा. दी. प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा. दी. पर अधिवक्ता प्रार्थीगण को सुना गया। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि उनवानी कानाराम बनाम हरलाल नामान्तरकरण अपील सं. 55/2015 नामा. सं. 221 वाके ग्राम अमराबाद तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा श्रीमान के न्यायालय में विचाराधीन थी। जिसको प्रार्थीगण(अपीलान्ट्स) द्वारा दिनांक 12.02.2020 को विड्रो कर फैसल करवा ली। विड्रा करने से पूर्व अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट्स के मध्य दिनांक 28.11.2019 को आपस में गांव के पांच आदमियों ने मिल बैठ कर राजीनामा करवा दिया था। किन्तु अप्रार्थीगण(रेस्पो.) अब उक्त पारिवारिक समझौते से मुकर गये है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण धारा 151 जा. दी. स्वीकार कर अपील अपीलान्ट कानाराम बनाम हरलाल प्र. सं. 55/2015 निर्णय दिनांक 12.02.2020 को सुनवाई हेतु पुनः नम्बर पर लिया जावे। हमने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा. दी. पर अधिवक्ता प्रार्थीगण के कथन पर मनन किया व प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय संलग्न दस्तावेजात का भली प्रकार से अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण(अपीलान्ट्स) द्वारा न्यायालय हाजा में विचाराधीन नामा. अपील सं. 55/2015 उनवानी कानाराम बनाम हरलाल को दिनांक 12.02.2020 को विड्रो की जा चुकी है। जब प्रार्थीगण (अपीलान्ट्स) द्वारा अपील विड्रो कर ली गई है तो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा. दी. स्वीकार किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा. दी. (अपील सं. 55/2015) को पुनः नम्बर पर लिये जाने को खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। अति. जिला कलक्टर दौसा	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official